पत्र सं०–6 एस०एस०(6)08 / 2025– 503 /

बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

प्रेषक,

गीता सिंह, भा०प्र०से०,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक) बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना–15, दिनांक–01 / 02 / 2025.

**अनौपचारिक रूप से परामर्शित।

द्वारा :– **आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय :– **वित्तीय वर्ष 2024–25 में कुल ₹ 860.96 लाख (रुपये आठ करोड़ साठ लाख छियानवे हजार) मात्र की लागत व्यय पर राज्य स्कीम के तहत कॉम्फेड, पटना अन्तर्गत कोसी दुग्ध संघ सुपौल अन्तर्गत मधेपुरा में 50 KLPD क्षमता के दुग्ध शीतलीकरण केन्द्र की स्थापना हेतु शत्–प्रतिशत अनुदान पर प्रशासनिक स्वीकृति।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरान्त वित्तीय वर्ष 2024–25 में कुल ₹ 860.96 लाख (रुपये आठ करोड़ साठ लाख छियानवे हजार) मात्र की लागत व्यय पर राज्य स्कीम के तहत कॉम्फेड, पटना अन्तर्गत कोसी दुग्ध संघ सुपौल अन्तर्गत मधेपुरा में 50 KLPD क्षमता के दुग्ध शीतलीकरण केन्द्र की स्थापना हेतु शत–प्रतिशत अनुदान पर स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना का विस्तृत व्यय विवरणी संलग्न।

2. कोसी मिल्क यूनियन की स्थापना वर्ष 2014 में हुई है, दुग्ध संग्रहण (चिलिंग) का कार्य 2012 में शुरू हुआ है। 2020 में दही का उत्पादन और बाजार में उसकी माँग काफी बढ़ी है। यह बिहार राज्य दुग्ध सहकारी संघ से संबद्ध है और इसका कार्यक्षेत्र कोसी डिविजन (सहरसा, सुपौल और मधेपुरा) है। कोसी और अन्य नदियों की बाढ़ के कारण क्षेत्र का विकास पिछड़ा हुआ है। पुलों के निर्माण के साथ क्षेत्र में सम्पर्क में सुधार हुआ है। डेरी विकास कार्यक्रम यहाँ अन्य जिलों के तूलना में 20 साल बाद शुरू हुआ है। 2009 में उसी डेरी परियोजना का शुरूआत हुई। वर्ष 2014 में कोसी मिल्क यूनियन के गठन के बाद इस क्षेत्र में डेरी विकास ने गति पकड़ी है। इस हेतु मधेपुरा जिले में जिला प्रशासन ने चिलिंग केन्द्र के लिए भूमि आवंटित की है।

3. परियोजना का मुख्य उद्देश्य– इस परियोजना का उद्देश्य कच्चे दूध की गुणवत्ता को संरक्षित बनाये रखना है, साथ ही कोसी मिल्क यूनियन, सुपौल को मधेपुरा जिला के अन्य गाँवों तक विस्तार करना है। इसका उद्देश्य 4 डिग्री

सेल्सियस तक दूध को तुरन्त ठण्डा करना है। चिलिंग केन्द्र की क्षमता 50 KLPD होगी, जिसे 100 KLPD तक बढ़ाया जा सकेगा।

4. परियोजना से लाभ –

(i) यह परियोजना किसानो और पशुपालकों के लिए लाभदायक होगी।

(i) सीधे तौर पर कई लोगों को रोजगार मिलेगा।

(iii) अप्रत्यक्ष रूप से वाहन मालिक, उनके कर्मचारी और अन्य लोग भी लाभान्वित होंगे।

(iv) इससे किसानों और पशुपालकों के लिए बेहतर बाजार उपलब्ध होगा।

(v) दूध संग्रहण में वृद्धि होगी।

(vi) क्षेत्र में डेयरी उद्योग का विकास होगा।

5. प्रस्तावित योजना अंतर्गत बजट उपबंध से राशि का भुगतान कॉम्फेड, पटना को उनके पी०एल० खाता में किया जायेगा।

6. प्रस्तावित योजना के तहत स्वीकृत राशि की निकासी निदेशक, गव्य अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी होंगे। निदेशक, गव्य सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

7. बजट शीर्ष और बजट की उपलब्धता – बजट शीर्ष–2404 –डेरी विकास, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–102 –डेरी विकास परियोजनाएँ, मांग संख्या–02, उप शीर्ष–0115 –गव्य प्रक्षेत्र की योजनाएँ, विपत्र कोड 02–2404001020115 तृतीय अनुपूरक आगणन से योजना उद्व्यय प्राप्त कर बजट के अधीन कार्यान्वयन किया जायेगा।

8. निदेशक, गव्य का यह भी दायित्व होगा कि वित्त विभागीय संकल्प–573, दिनांक–16.01.1975 एवं एम०–04–15/2009–9736 वि०–2, दिनांक–19.10.2011 के अनुसार सहायक अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र राज्यादेश निर्गत होने की तिथि से 18 माह के अन्दर विभाग एवं महालेखाकार (ले० एवं हक०) बिहार, पटना के कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा तथा व्यय को स्वीकृत राशि के अन्तर्गत सीमित रखा जायेगा।

9. दिनांक–27.01.2025 को सम्पन्न विभागीय स्थायी वित्त समिति की बैठक में प्रस्तावित स्कीम की स्वीकृति प्रदान की गयी है। कार्यवाही संचिका 6 एस०एस०(6)08/2025 के पृष्ठ 22–21/प०.

10. चुँकि यह योजना एक नई योजना है। योजना लागत मूल्य रुपये 10.00 करोड़ से कम है। इसलिए वित्त विभागीय संकल्प–12888, दिनांक–03.12.2024 की कंडिका–2(क) में सन्निहित प्रावधान के आलोक में प्रस्ताव एवं राज्यादेश प्रारूप

में माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है। संचिका सं०–6 एस०एस०(6)08/2025 के पृष्ठ–04/टि० दिनांक–01.02.2025.

11. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है। सं०सं०–6 एस०एस०(6)08/2025 के पृष्ठ–03/टि० तथा डायरी सं०–शून्य, दिनांक–01.02.2025.

12. वित्त विभागीय पत्र संख्या–7355 दिनांक–05.10.2007 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से राशि की निकासी हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

विश्वासभाजन

(प्रीता सिंह)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6)08/2025– 503 /पटना–15, दिनांक–01/02/2025.
प्रतिलिपिः–अनुलग्नक की प्रति के साथ वित्त विभाग (योजना शाखा/बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6)08/2025– 503 /पटना–15, दिनांक–01/02/2025.
प्रतिलिपिः–अनुलग्नक की प्रति के साथ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6)08/2025– 503 /पटना–15, दिनांक–01/02/2025.
प्रतिलिपिः–अनुलग्नक की प्रति के साथ प्रबंध निदेशक, कॉम्फेड, पटना/निदेशक, गव्य, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6)08/2025– 503 /पटना–15, दिनांक–01/02/2025.
प्रतिलिपिः–अनुलग्नक की प्रति के साथ गव्य निदेशालय के बजट शाखा/योजना शाखा/लेखा शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6)08 / 2025– 503 / पटना–15, दिनांक–01/02/2025.

प्रतिलिपिः–अनुलग्नक की प्रति के साथ मुख्यालय के सभी पदाधिकारी / योजना शाखा–06 के कार्यवाह सहायक को अतिरिक्त पाँच प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6)08 / 2025– 503 / पटना–15, दिनांक–01/02/2025.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ विभागीय मंत्री के आप्त सचिव / विभागीय अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव / महालेखाकार, लेखा परीक्षा, महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6)08 / 2025– 503 / पटना–15, दिनांक–01/02/2025.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ आई० टी० मैनेजर, विभागीय कम्प्यूटर कोषांग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

व्यय विवरणी

राज्य स्कीम के तहत वित्तीय वर्ष 2024–25 में कोसी दुग्ध संघ, सुपौल अन्तर्गत मधेपुरा में 50 KLPD क्षमता के दुग्ध शीतलीकरण केन्द्र के स्थापना की योजना का संभावित व्यय विवरणी :–

क्रमांक	विपत्र कोड / विषय शीर्ष	योजना का विवरणी	कुल लागत	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	कोषागार का नाम
1	विपत्र कोड 02–2404001020115 विषय शीर्ष 31–05 –सहायक अनुदान परिसम्पत्तियों के निर्माण।	Civil works	433.46	निदेशक, गव्य, बिहार, पटना।	सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना।
2		Electromachanical work	427.50		
कुल योग			**860.96**		

503
01/02/25

सरकार के अपर सचिव